राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 801/2020

देवीलाल बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक, भीलवाडा।
3. वीरेन्द्र सिंह यादव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटड़ी, भीलवाडा।
4. पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़, कोटडी, भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.08.2020
आदेश की दिनांक : 13.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को माह जून, 2019 से वर्तमान तक का समस्त वेतन का भुगतान मय 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे तथा दिनांक 11.09.2017 से दिनांक 08.02.2018 तथा दिनांक 05.06.2019 से दिनांक 19.07.2019 तक की उपस्थिति अवधि का वेतन का भुगतान दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति फरवरी, 1991 में पंचायत समिति, जिला परिषद, भीलवाडा द्वारा अध्यापक ग्रेड–III के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.1991 को कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 08.06.2016 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 6डी के

अनुसार अपीलार्थी का पदस्थापन किया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1916/2016 प्रस्तुत की। अधिकरण ने दिनांक 17.08.2016 को स्थगन आदेश जारी करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये। अपीलार्थी ने अधिकरण के उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिनांक 30.08.2016 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं करते हुये दिनांक 08.06.2017 को निरस्त कर दिया तथा अपीलार्थी लगातार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गफेसरा कोटडी, जिला भीलवाडा में कार्यरत रहा, परंतु अपीलार्थी को कभी भी ऑफलाईन कार्यमुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी बीएलओ के पद पर कार्यरत था तथा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया गया तो अपीलार्थी ने जनवरी, 2018 में जानकारी प्राप्त की तो प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी का नाम पोर्टल पर नहीं है तथा दिनांक 11.09.2017 को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी ने कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 104/2018 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 08.02.2018 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.06.2016, 08.06.2017 व कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 11.09.2017 की क्रियान्विति स्थगित की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 07.06.2019 के द्वारा अपीलार्थी को बिना सक्षम अधिकारी के आदेशों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा मांडलगढ के लिये कार्यमुक्त करने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1602/2020 प्रस्तुत की। जिसमें माननीय अधिकरण ने कार्यमुक्ति आदेश को दिनांक 10.07.2019 के आदेश के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। अपीलार्थी लगातार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गफेसरा कोटडी में कार्यरत रहा, परंतु अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया गया। जिस पर अपीलार्थी ने जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक, भीलवाडा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने आदेश दिनांक 09.01.2020 (अनुलग्नक–1) के द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, कोटडी को निर्देश जारी किये गये कि अपीलार्थी का वेतन का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है, जो उचित नहीं है तथा पीईईओ, किशनगढ, पंचायत समिति, कोटडी के पत्रानुसार आपके कार्यालय में कार्यरत एसीबीओ, पीईईओ किशनगढ, पंचायत समिति, कोटडी द्वारा प्रेषित वेतन बिल को बार–बार रिवर्ट कर

देते हैं। संबंधित अधिकारी द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि आपके ध्यान में भी यह प्रकरण होगा। अतः आप अविलम्ब संबंधित श्री देवीलाल बैरवा को नियमित वेतन भुगतान कर इस कार्यालय को अवगत करावें। इसके पश्चात् दिनांक 10.01.2020 (अनुलग्नक–2), आदेश दिनांक 03.02.2020 (अनुलग्नक–3), आदेश दिनांक 06.05.2020 (अनुलग्नक–4), आदेश दिनांक 01.05.2020 (अनुलग्नक–5) के द्वारा भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने अपीलार्थी के वेतन भुगतान करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये, परंतु अपीलार्थी को आज तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अपीलार्थी को आज तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को माह जून, 2019 से वर्तमान तक का समस्त वेतन का भुगतान मय 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे तथा दिनांक 11.09.2017 से दिनांक 08.02.2018 तथा दिनांक 05.06.2019 से दिनांक 19.07.2019 तक के उपस्थिति अवधि का वेतन का भुगतान दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अधिकरण के स्थगन आदेशों को विभाग के ध्यान में लाये बिना ही सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कार्यग्रहण किया है तथा अपीलार्थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गफेसरा में बिना अनुमति के उपस्थिति दर्ज की है, जिसके संबंध में अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना विचाराधीन है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी दिनांक 11.09.2017 से दिनांक 08.02.2018 तक उपस्थित होने के बावजूद तथा विद्यालय के हाजरी रजिस्टर में उपस्थित होने के बावजूद अपीलार्थी को अनुपस्थित मानते हुये उक्त 119 दिवस अवधि को उपार्जित अवकाश समायोजित किया गया है तथा दिनांक 05.06.2019 से दिनांक 19.07.2019 तक की उपस्थित अवधि को भी उपार्जित अवकाश में समायोजित किया गया है। जबकि अपीलार्थी दिनांक 11.09.2017 से दिनांक 08.02.2018 तक तथा दिनांक 05.06.2019 से दिनांक 19.07.2019 तक कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा तथा विद्यालय में अन्य

अध्यापक के साथ अपीलार्थी ने कार्य किया है तथा हाजरी उपस्थिति पंजिका में अनुलग्नक–9 में अपीलार्थी की उपस्थिति का रिकार्ड मौजूद है। उक्त तथ्यों के बावजूद अपीलार्थी को उपस्थित होने के बावजूद उपस्थित अवधि को उपार्जित अवकाश में परिवर्तन करने के आदेश विधि विरूद्ध हैं तथा मनमाना पक्षपातीपूर्ण आदेश है। अपीलार्थी उपस्थित अवधि के समस्त वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति फरवरी, 1991 में पंचायत समिति, जिला परिषद, भीलवाडा द्वारा अध्यापक ग्रेड–III के पद पर की गई थी जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.1991 को कार्यग्रहण किया। जहां तक अपीलार्थी को जून, 2019 से वर्तमान तक का समस्त वेतन का भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी ने अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की जानकारी विभाग में दिये बिना और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यग्रहण कर लिया। आदेश दिनांक 09.01.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक, भीलवाडा द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, कोटडी को पत्र लिखा गया, जिसमें अपीलार्थी को नियमित वेतन भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया। इसी तरह अनुलग्नक–2 भी जारी किया गया, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को स्थगन की जानकारी देते हुये अपीलार्थी को वेतन भुगतान का आदेश दिया गया। इस प्रकार कई पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को वेतन भुगतान के संबंध में प्रेषित किये गये। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने सक्षम स्तर पर बिना जानकारी दिये कार्यग्रहण कर लिया। बारम्बार पत्राचार होने के बावजूद अपीलार्थी को समय पर वेतन आदि का भुगतान नहीं किया गया, जो नियमानुसार उचित प्रकट नहीं होता है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किये गये पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के बिल भुगतान बार–बार रिवर्ट किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 11.09.2017 से दिनांक 08.02.2018 एवं दिनांक 05.06.2019 से दिनांक 19.07.2019 की अवधि के लिये सभी प्रयोजनार्थ ड्यूटी पर मानते हुये उसे इस अवधि का समस्त वेतन, अन्य देय परिलाभ एवं बकाया वेतन का नियमानुसार भुगतान किया जावे। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)